



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 254] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 1985/ज्येष्ठ 3, 1907
No. 254] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 1985/JYAISTHA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

संलिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 1985

का० आ० 415(अ) - -राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 77 के
खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-
आवटन) नियम, 1961 में शीर मसौदा करने के लिए निम्नलिखित नियम
बनाते हैं, अर्थात् --

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवटन)
(एक सौ उनहतरवा संशोधन) नियम, 1985 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में, "गृह मंत्रालय" शीर्षक के नीचे "क. गृह विभाग" उप-शीर्षक के नीचे, भाग 1क में, प्रविष्टि 79ख के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"79ग. आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 31)।"

जैल सिंह
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/85-मंलि.]

एल. आर. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव।

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 1985

S.O. 415 (E) :— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and sixty-ninth Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF HOME AFFAIRS (GRIH VIBHAG)", in Part IA, after entry 79B, the following entry shall be inserted, namely :—

"79C. The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 (31 of 1985)."

ZAIL SINGH
President

[No. 74/2/1/85-Cab]

L. R. K. Prasad, Jt. Secy.